

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §  
बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 1997/श्रावण 8, 1919 §शक§

संख्या : 337

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, दक्षिण-पश्चिम जिला, नई दिल्ली का दिनांक 28.07.97 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

"श्री विनोद शर्मा, सदस्य विधान सभा नसीरपुर विधान सभा क्षेत्र को दिनांक 28.7.97 को अपराह्न 11.30 बजे, भारतीय दंड संहिता की धारा 147/149/341/323 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध दायर केस एफ.आई.आर नंबर 475/97 दिनांक 21.7.97 के मामले में पुलिस स्टेशन डाबरी द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के तुरन्त बाद ही उनको रु. 5000/= के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया।

पी.एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Wednesday, July 30, 1997/ Shravana 08, 1919 (Saka)

No.337

ARREST OF A MEMBER

The following message dated 28.7.1997 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Deputy Commissioner of Police, South-West District, New Delhi :-

" Shri Vinod Sharma, MLA from Nasirpur Constituency was arrested at 1130 hrs. on 28.7.97 in case FIR No. 475/97 dated 27.7.97 u/s 147/149/341/323 IPC PS Dabri. Immediately upon his arrest he was released on bail for the sum of Rs.5000/-."

P.N. GUPTA  
SECRETARY